न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद

(अरूण कुमार हसीजा, आई0ए0एस0, जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

पंचायत रिवीजन संख्याः 09/2025

दायर दिनांकः 05.05.2025

निर्णय दिनांक 06.04.2026

—: अनवान :—

ग्राम पंचायत सुन्दरचा जरिये ग्राम विकास अधिकारी शम्भुलाल व्यास पिता जानकीलाल जी व्यास आयु 32 वर्ष निवासी मुण्डोल तहसील राजसमन्द जिला राजसमन्द

— निगराकार/प्रार्थी

बनाम

भँवरीबाई पत्नि शंकरलाल जी पालीवाल आयु वयस्क निवासी सुन्दरचा तहसील राजसमन्द जिला राजसमन्द

— गैर निगराकार

निगरानी विरूद्ध आबादी भूमि का पट्टा संख्या 22 दिनांक 26.11.2021 ग्राम पंचायत सुन्दरचा

उपस्थित :—

1. श्री भरत पालीवाल, अधिवक्ता प्रार्थी/निगराकार
2. अप्रार्थी/गैर निगराकार संख्या 1 अनुपस्थित (एकपक्षीय कार्यवाही)

:: निर्णय ::

प्रकरण के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि निगरानी विरूद्ध आबादी भूमि का पट्टा संख्या 22 दिनांक 26.11.2021 ग्राम पंचायत सुन्दरचा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विपक्षीया को ग्राम पंचायत सुन्दरचा द्वारा आबादी पुश्तैनी भुमि का पट्टा संख्या 22 दिनांक 26.11.2021 को जारी किया गया। उक्त भुमि के पडौस उत्तर में कैलाश पिता रामचन्द्र जी का मकान एवं सामलाती चौक, दक्षिण में स्वयं का बाडा, पूर्व में स्वर्गीय भोलाशम्भु पिता श्री कृष्ण जी का मंकान, पश्चिम नन्दकिशोर पिता रणजीत जी का खण्डहर नुमा मकान है। उक्त पट्टेशुदा भुमि का कुछ भाग सामलाती चौक को शामिल करते हुऐ सहवन से उक्त पट्टा जारी हो गया जबकि मौका पर्चा रिपोर्ट

एवं आपत्ति आव्हान में भी उक्त सामलाती चौक को दर्शा रखा है। सामलाती भुमि को भी उक्त पट्टे में शामिल कर लिये जाने से विपक्षी एवं उनके पडौसियो के मध्य विवाद उत्पन्न हो गया है जिसकी जानकारी ग्राम पंचायत को होने पर ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पत्रावली को देखने से यह जानकारी में आया कि पट्टा जारी करते वक्त जो सामलाती चौक था उसे भी पट्टे की भुमि में शामिल कर लिया है जबकि नियमानुसार सामलाती भुमि का पट्टा किसी एक व्यक्ति के नाम जारी नहीं किया जा सकता है। उक्त पट्टा सहवन से सामलाती भुमि को शामिल करते हुऐ जारी हो गया है जो निरस्त होने योग्य है। इस कारण से यह निगरानी याचिका प्रस्तुत है कि आवेदन पत्र के साथ नक्शा शामिल नहीं था उसके पश्चात् विपक्षीया की उपस्थिति में पर्चा मौका दिनांक 10.10.2021 को बनाया। उसमें भी उक्त सामलाती चौक को अलग से दर्शा रखा है और इस प्रकरण में आपत्ति आव्हान पत्र जो जारी किया गया है उसमें भी उक्त सामलाती चौक को दर्शाया गया है लेकिन पट्टा जारी करते समय सहवन से पट्टे की भुमि में उक्त सामलाती चौक भी शामिल हो गया है। नियमानुसार सामलाती भुमि का किसी एक स्वामी के नाम पट्टा जारी नहीं किया जा सकता है। इस कारण यह पट्टा निरस्त होने योग्य है। नियमानुसार ग्राम पंचायत विपक्षीया के एकल स्वामित्व की आबादी भुमि का ही पट्टा जारी कर सकती है लेकिन इस मामले में जिस स्थान का पट्टा जारी किया गया है उसमें सामलाती भुमि सहवन से शामिल हो गई है। इस कारण यह पट्टा निरस्त होने योग्य है। शामालती भुमि का पट्टा जारी करने की ग्राम पंचायत को अधिकारिता नहीं है और उक्त पट्टा व्यर्थ व शुन्य है। पडौसियो के मध्य उक्त भुमि को लेकर विवाद की जानकारी ग्राम पंचायत को होने पर ग्राम पंचायत ने उक्त पट्टे की पत्रावली देखी तो उक्त तथ्यो की जानकारी दिनांक 02.01.2025 को जानकारी हुई। इससे पूर्व उक्त तथ्यो की जानकारी नहीं थी इस प्रकार उक्त निगरानी उक्त तथ्यो की जानकारी दिनांक 02.01.2025 से अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अतः निवेदन है कि निगरानी याचिका मन्जुर की जाकर प्रश्नगत विवादित पट्टा संख्या 22 दिनांक 26.11.2021 को विपक्षीया के नाम जारी है, को अपास्त/निरस्त किये जाने का आदेश फरमाय जावे।

प्रार्थी/निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी/गैर निगराकार को जरिये नोटिस सूचित किया गया। अप्रार्थी को जारी नोटिस बाद तामील के प्राप्त। किन्तु अप्रार्थी के बावजूद सूचना के नियत पेशी पर अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध दिनांक 07.07.2025 को एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश पारित किया गया तथा ग्राम पंचायत सुन्दरचा से मूल पट्टा पत्रावली तलब की गयी।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

अधिवक्ता प्रार्थी की धारा 5 के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा 5 के प्रार्थना पत्र में विलम्ब के लिए अंकित कारण सन्तोषप्रद होने से विलम्ब अवधि को न्यायहित में कन्डोन किया जाकर धारा 5 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है।

अधिवक्ता प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी/निगराकार ने अपनी निगरानी याचिका में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्यतः यह कथन किया कि विपक्षीया को ग्राम पंचायत सुन्दरचा द्वारा आबादी पुश्तैनी भुमि का पट्टा संख्या 22 दिनांक 26.11.2021 को जारी किया गया। उक्त पट्टेशुदा भुमि का कुछ भाग सामलाती चौक को शामिल करते हुऐ सहवन से उक्त पट्टा जारी हो गया जबकि मौका पर्चा रिपोर्ट एवं आपत्ति आव्हान में भी उक्त सामलाती चौक को दर्शा रखा है। सामलाती भुमि को भी उक्त पट्टे में शामिल कर लिये जाने से विपक्षी एवं उनके पडौसियो के मध्य विवाद उत्पन्न हो गया है और पट्टा जारी करते वक्त जो सामलाती चौक था उसे भी पट्टे की भुमि में शामिल कर लिया है जबकि नियमानुसार सामलाती भुमि का पट्टा किसी एक व्यक्ति के नाम जारी नहीं किया जा सकता है। उक्त पट्टा सहवन से सामलाती भुमि को शामिल करते हुऐ जारी हो गया है जो निरस्त होने योग्य है। अतः निवेदन है कि निगरानी याचिका स्वीकार की जाकर विवादित पट्टा संख्या 22 दिनांक 26.11.2021 को अपास्त/निरस्त किये जाने का आदेश फरमाय जावे।

मैंने अधिवक्ता प्रार्थी/निगराकर की बहस पर गहन मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। इस प्रकरण में अप्रार्थिया श्रीमती भंवरी बाई तामील के बाद भी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुई है। इसलिए अधिवक्ता प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। इस प्रकरण में मूल विवाद का विषय अप्रार्थिया को जारी पट्टे में सम्मिलित 14 फीट X 5.6 फीट का शामलाती चौक है। प्रार्थिया को जो पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 26.11.2021 को जारी किया गया है, उस पट्टे में इस शामलाती चौक को भी सम्मिलित कर दिया गया है।

हमने ग्राम पंचायत सुन्दरचा की मूल पट्टा पत्रावली का अवलोकन किया। इस पत्रावली का अवलोकन करने पर यह जाहिर हुआ है कि ग्राम पंचायत द्वारा जो अप्रार्थिया को पट्टा जारी किया गया है तथा जो आक्षेप आमंत्रित करने का नोटिस जारी किया गया था, और जो मौका पर्चा बनाया गया था। उसमें 14 फीट X 5.6 फीट की भूमि को शामलाती बता अप्रार्थिया को पट्टा जारी किया गया है, इस शामलाती चौक को उस पट्टे में भी शामिल कर दिया गया है। अर्थात जो शामलाती चौक था, वह अप्रार्थिया के स्वामित्व में ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध करा दिया गया

है। इस प्रकार की त्रुटि होना दस्तावेजों से ही जाहिर होता है। इस बिंदु के अलावा अपीलांट/निगरानीकर्ता द्वारा इस पंचायत के पट्टे में अन्य किसी तरह की आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है।

अतः उक्त विवेचन तथा दस्तावेजों के अध्ययन के पश्चात मैं यहाँ परिपूर्ण न्याय की दृष्टि से विवादित पट्टा को निरस्त किया जाना उचित समझता हूँ। ग्राम पंचायत सुन्दरचा, जो कि स्वयं निगराकार हैं, उन्हें यह प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित करता हूँ कि शामलाती चौक को अलग करते हुए शेष भूमि की यदि अप्रार्थिया हकदार है तथा स्वामित्व रखती है तो राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के प्रावधानों के अंतर्गत ग्राम पंचायत सुन्दरचा संशोधित पट्टा जारी करने हेतु स्वतंत्र रहेंगी।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत सुन्दरचा द्वारा जारी पट्टा संख्या 22 दिनांक 26.11.2021 को निरस्त किया जाता है। ग्राम पंचायत सुन्दरचा को निर्णय की प्रति तथा उनके कार्यालय की मूल पट्टा पत्रावली लौटायी जावें।

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 06.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)